सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 05, मंगलवार, *शाके* 1941–नवम्बर 26, 2019	
	Agrahayana 05, Tuesday, Saka 1941–November 26, 2019	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2019

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 7(1)(क) iv तथा 7(1)(ख) vi के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम संख्या 2 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों में उनके समक्ष कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित विधानसभा के माननीय सदस्यों को एतद्द्वारा मण्डी समिति सदस्य मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं	मण्डी समिति का नाम	मनोनीत विधायक का नाम	विधानसभा क्षेत्र
1.	बडौदामेव	श्री जौहरीलाल मीना	राजगढ- लक्ष्मणगढ, अलवर
2.	कोटा(फ.स.)	श्री रामनारायण मीना	पीपल्दा
3.	अन्ता	श्री प्रमोद भाया	अन्ता
4.	जोधपुर (फ.स.)	श्रीमती मनीषा पंवार	जोधपुर शहर
5	जोधपुर (अनाज)	श्री हीराराम	बिलाड़ा
6.	जैतसर	श्री रामप्रताप कासनियां	सूरतगढ़
7.	हनुमानगढ	श्री विनोद कुमार	हनुमानगढ

यह संशोधित अधिसूचना इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.4(20) कृषि/ग्रुप-2/2016 दिनांक 11.06.2019 की निरन्तरता में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
लाल चन्द गुर्जर,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।